

कार्यालय वनमंडल अधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

07141-23420 (कार्यालय), E-Mail: etul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2019/ 2773
प्रति,

सहायक महाप्रबंधक (योजना)
भारत संचार निगम लिमि. कार्या. दूरसंचार
जिला प्रबंधक, बैतूल



दिनांक/ 24/11/19

विषय :-

बैतूल एस.एस.ए. में नोफन प्रोजेक्ट फेस - II के तहत वन विभाग की अनुमति बाबत।
(BSNL NOFN PROJECT 2.270 Hec.)

संदर्भ :-

- 1- म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक-एफ/5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 18.11.2004 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 14.12.2005 तथा 01.07.2009 एवं पत्र क्रमांक-एफ-5-11/2006/10-3 भोपाल दिनांक 31.05.2014
- 2- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/विविध/2018/10-11/3076 दिनांक 04.10.2018
- 3- मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल का पृ. पत्र क्रमांक/माचि./4986 दिनांक 06.10.2018 एवं पत्र क्रमांक/1846 दिनांक 16.04.2019
- 4- परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर (सा.) का पत्र क्र./83 दिनांक 14.01.2019
- 5- आपका पत्र क्र./डब्ल्यू-1-1010/नोफन फेस-II पत्रा./18-19 दिनांक 26.09.2018 एवं पत्र क्रमांक/जी-1 /नोफन/उ.म.अ.तार./बैतूल/2018-19 दिनांक 19.01.2019

— 000 —

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से शाहपुर, बैतूल एवं रानीपुर परिक्षेत्रों के कक्षों में रकबा- 2.270 हे. में भूमिगत ओ.एफ.सी. केबल लाईन डालने हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव की पृविष्टि भारत सरकार की वेब साईट- www.forestclearance.nic.in पर दिनांक 26.09.2018 को ऑनलाईन की जाकर प्रस्ताव की हार्डकॉपी वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत की गई। प्रस्ताव अनुसार वनमंडल अन्तर्गत आवेदित क्षेत्र का संयुक्त स्थल निरीक्षण वन विभाग एवं बी.एस.एन.एल. बैतूल के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया गया। परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर (सा.) संदर्भित पत्र दिनांक 14.01.2019 एवं आपके संदर्भित पत्र दिनांक 19.01.2019 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शाहपुर, बैतूल एवं रानीपुर परिक्षेत्रों के अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र की कुल लंबाई 50455 मीटर में मार्ग के किनारे-किनारे डाली जाने वाली भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन का वनकक्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	ओ.एफ.सी. लाईन की लंबाई (मी.में)	ओ.एफ.सी. लाईन की चौड़ाई (मी.में)	आवेदित वनक्षेत्र (हे.में)	आवेदित स्थल की जी.पी.एस.रीडिंग	
						प्रारंभिक	अंतिम
1	Shahpur	RF-226	2700	0.45	0.122	N 22 10 17.89 E 77 52 22.59	N 22 09 12.87 E 77 49 30.97
2	Shahpur	RF-182 B	1500	0.45	0.068	N 22 13 19.160 E 77 45 27.216	N 22 12 38.092 E 77 55 49.725
3	Shahpur	RF-182 A	1600	0.45	0.072	N 22 13 43.698 E 77 45 13.806	N 22 13 19.160 E 77 45 27.216
4	Shahpur	RF-180	2400	0.45	0.108	N 22 14 01 E 77 45 05	N 22 13 43 E 77 44 01
5	Shahpur	RF-175	3000	0.45	0.135	N 22 13 38 E 77 43 31	N 22 12 57 E 77 42 34
6	Shahpur	-	4200	0.45	0.189	N 22 10 26 E 77 40 39	N 22 10 14 E 77 42 31
7	Shahpur	RF-172	3800	0.45	0.171	N 22 10 26 E 77 40 39	N 22 09 39 E 77 40 41
8	Ranipur	P-905	655	0.45	0.029	N 21.929337 E 78.056544	N 21.928168 E 78.052005

9	Betul	P-426	4300	0.45	0.194	N 22.100824 E 87.8826	N 22.123735 E 77.884452
10	Betul	RF-247	4700	0.45	0.212	N 22.100808 E 77.878948	N 22.123709 E 77.887016
11	Betul	RF-248	1800	0.45	0.081	N 22.123739 E 77.884456	N 22.136454 E 77.890520
12	Betul	RF-246	3800	0.45	0.171	N 22.126316 E 77.887598	N 22.140036 E 77.891705
13	Betul	RF-244	3900	0.45	0.176	N 22.136612 E 77.890529	N 22.153489 E 77.894624
14	Betul	RF-245	1900	0.45	0.086	N 22.140039 E 77.891705	N 22.153489 E 77.894624
15	Betul	P-1624	2000	0.45	0.090	N 21.921547 E 77.881741	N 21.921338 E 77.876250
16	Betul	P-462	3000	0.45	0.135	N 21.922851 E 77.867331	N 21.919808 E 77.846651
17	Betul	P-463	1500	0.45	0.068	N 21.922677 E 77.867435	N 21.919854 E 77.846898
18	Betul	P-1650	1500	0.45	0.068	N 21.923486 E 77.842254	N 21.924759 E 77.842118
19	Betul	P-1649	2200	0.45	0.099	N 21.921232 E 77.825889	N 21.919575 E 77.818116
		Total:-	50455		2.270		

मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल पत्र क्रमांक / 1846 दिनांक 16.04.2019 द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्राप्त अनुशंसा एवं परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर (सा.) एवं आपसे प्राप्त प्रतिवेदन मय पंचनामा के आधार पर शाहपुर, बैतूल एवं रानीपुर (सा.) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रभावित वनक्षेत्र 2.270 हे. में मार्ग के किनारे-किनारे "राइट ऑफ वे" के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.11.2004 एवं 01.07.2009 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार जी.पी. एस. रीडिंग के अंतर्गत भूमिगत आर्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक सहमति निम्न दर्शित शर्तों के अधीन जारी की जाती है:-

01. वनभूमि व्यपवर्तन की यह स्वीकृति केवल मार्ग के किनारे-किनारे "राइट ऑफ वे" तथा उपरोक्त दर्शित जी.पी.एस.रीडिंग के अंतर्गत आने वाली वनभूमि के लिए ही दी जा रही है (राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है)।
02. वनभूमि पर आर्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ति का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा 0.45 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा। यदि 0.45 मीटर चौड़ाई एवं 1.65 मीटर गहराई से अधिक खुदाई पायी गई, तो नियमानुसार प्रचलित वन विधानों के अंतर्गत संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
03. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
04. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
05. बिछाई गई भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन के रखरखाव की अनुमति आवेदक संस्थान द्वारा मांग करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पृथक से दी जावेगी।
06. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ति के निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
07. समतलीकरण का कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।
08. नाली खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खन्ति में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा और न ही किसी भी वृक्षों की कटाई छटाई की जावेगी।
09. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या भूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।

10. यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं अधोहस्ताक्षर (वनमंडलाधिकारी) द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है, तो यह शर्त संस्थान को मान्य होगी।

11. यह स्वीकृति "राइट ऑफ वे" के तहत केवल वन विभाग के आधिपत्य की वनभूमि के लिए जारी की जा रही है, यदि प्रकरण में राजस्व वनभूमि प्रभावित होती है तो आवेदक संस्थान इसके लिये जिम्मेदार होगा।

12. यदि आवेदक संस्थान द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, तथा संस्थान के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. प्रकरण में 100 रु. की राशि ऑनलाईन कैम्पा खाते के Others मद में जमा करना सुनिश्चित करे।

यह स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से जारी की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 13 तक के पालन से संबंधित वचनपत्र एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कार्य सम्पादन हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी, जिसके उपरांत आवेदक संस्थान संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित कर मौके पर कार्य प्रारंभ कर सकेंगे।

उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

बैतूल, दिनांक

24/4/19

पू.क्र./मा.चि./19/2774

प्रतिलिपि :-

1- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3- कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि यह सैद्धांतिक सहमति आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के आधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। सैद्धांतिक सहमति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियाँ सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व विभाग के छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वनमंडल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की जा सके।

4- उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर, बैतूल एवं सारनी (सा.)/परिक्षेत्राधिकारी शाहपुर, बैतूल एवं रानीपुर (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पूर्व आवेदक संस्थान को वन भूमि पर कोई कार्य न करने दें।

वनमंडलाधिकारी,

उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल